

डॉ. रामनाधम की याद में

1960 के दशक के आखिर में आज़ाद भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति में दोनों ही स्तरों पर पहला बड़ा संकट आया। इस संकट ने कई क्रांतिकारी आंदोलनों को जन्म दिया। इनमें मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टियों के नेतृत्व में आदिवासी और किसान संघर्ष शामिल थे। इन आंदोलनों को दबाने के लिए सरकार ने बेरहमी से दमनकारी कदम उठाए। दमन के इन गैर-कानूनी तरीकों के जवाब में क्षेत्रीय नागरिक अधिकार संगठन बने। इसी क्रम में 1974 में आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज़ कमिटी (APCLC) की स्थापना हुई।

उस समय पेशे से डॉक्टर ए. रामनाधम ने वारंगल शहर में APCLC की एक ज़िला इकाई की स्थापना की। 1933 में खम्मम ज़िले के मुस्तिकुंतला गाँव में जन्मे रामनाधम ने सरकारी डॉक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में अनैतिक तौर-तरीकों से असंतुष्ट होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1968 में वारंगल में उन्होंने अपना *चिल्ड्रन क्लिनिक* शुरू किया। उसी साल से वे कई सामाजिक मुद्दों से जुड़ने लगे। उनका क्लिनिक शायद पूरे शहर का एकमात्र लोकतांत्रिक केंद्र बन गया था।

जून 1975 में आपातकाल लागू किया गया, जिससे उस समय चल रहा दमन और संस्थागत हो गया। डॉ. रामनाधम को अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया। आपातकाल हटने के बाद APCLC ने फिर से काम करना शुरू किया और डॉ. रामनाधम इसके उपाध्यक्ष बने।

डॉ. रामनाधम का नागरिक अधिकारों से जुड़ाव उनके डॉक्टर के पेशेवर काम से अलग नहीं था। असल में, उनके पेशेवर काम ने नागरिक अधिकार आंदोलन में मदद की और बदले में, इस आंदोलन ने उन्हें एक बेहतर डॉक्टर बनाया। इससे उन्हें अपने मरीजों की बीमारियों की सामाजिक वजहों को समझने में मदद मिली। वे सिर्फ़ दवाएँ देने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने वैज्ञानिक सोच को फैलाने की भी कोशिश की। इसी कोशिश से तेलुगु में उनकी मशहूर किताब 'मेडिकल गाइड' निकली, जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए लिखी गई थी।

डॉ. रामनाधम जहाँ भी गए और जो भी काम किया, वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जगह बनाने की कोशिश की। हुस्नाबाद के एक हेल्थ सेंटर में गलत मेडिकल प्रैक्टिस के खिलाफ लड़ना, वारंगल में दोस्तों के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी साहित्यिक पत्रिका निकालना, एक लड़की की मदद करना और उसके प्रभावशाली माता-पिता की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवाना, वारंगल सरकारी अस्पताल के सामने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की मदद से लोगों के लिए एक क्लिनिक चलाना — ये सभी डॉ. रामनाधम के लोकतांत्रिक मुद्दों में शामिल होने और पहल करने के उदाहरण हैं।

सत्तर के दशक के आखिर में, खेती में ज़्यादा मज़दूरी और ज़मींदारों के अत्याचार के खिलाफ किसानों का संघर्ष वारंगल और दूसरे ज़िलों में फैल गया। इन संघर्षों को दबाने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा गैर-कानूनी ताकतें दी गईं। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन राज्य की हिंसा जारी रही। APCLC के सदस्य के तौर पर, डॉ. रामनाधम फ़र्जी एनकाउंटर, हिरासत में टॉर्चर और मौतों की जांच में सक्रिय रूप से शामिल थे। इस वजह से APCLC को पुलिस के गुस्से का सामना करना पड़ा।

2 सितंबर 1985 को काज़ीपेट रेलवे स्टेशन पर, अज्ञात हमलावरों (जिनके बारे में माना जाता है कि वे नक्सली थे) ने पुलिस SI यादगिरी रेड्डी की गोली मारकर हत्या कर दी। अगली सुबह शव को अंतिम संस्कार के जुलूस में ले जाया गया, जिसमें कई हथियारबंद पुलिसकर्मी शामिल थे। जुलूस की अगुवाई ज़िला सुपरिंटेंडेंट और पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कर रहे थे। जब जुलूस चिल्ड्रन्स क्लिनिक के

पास पहुँचा, तो पुलिसकर्मियों का एक समूह क्लिनिक में घुस गया। उन्होंने क्लिनिक में तोड़-फोड़ की और कंपाउंडर व इंतज़ार कर रहे मरीजों के साथ मारपीट की। फिर वे पास की दुकान, कल्पना ऑप्टिकल्स में गए, जहाँ उन्हें डॉ. रामनाथम मिले और उन्होंने उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी। तुरंत ही, पास के एक डॉक्टर उन्हें लगभग दो किलोमीटर दूर महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल ले गए। जल्द ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत के साथ ही APCLC की वारंगल यूनिट ने काम करना बंद कर दिया।

उनकी मौत के चार दिन बाद, पुलिस ने SI यादगिरी रेड्डी हत्याकांड में दूसरी FIR दर्ज की; यह वारंगल में TADA के तहत दर्ज होने वाला पहला हत्या का मामला था। डॉ. रामनाथम को आरोपी बनाया गया। लेकिन डॉ. रामनाथम की हत्या के मामले में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। पुलिस का कहना था कि इसके लिए नक्सली जिम्मेदार थे और उन्होंने पुलिस से छिनी गई रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था। ड्यूटी में लापरवाही के कारण दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उनसे उनकी रिवॉल्वर छीन ली गई थीं। इसके ठीक एक साल बाद, 7 नवंबर 1986 को पुलिस ने APCLC की करीमनगर यूनिट के प्रेसिडेंट जे. लक्ष्मा रेड्डी की हत्या कर दी। वारंगल यूनिट को एन. प्रभाकर रेड्डी की कोशिशों से फिर से शुरू किया गया, जो इसके कन्वीनर बने। पेशे से वकील, उन्होंने TADA के तहत आरोपी सैकड़ों ग्रामीण युवाओं को ज़मानत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 7 दिसंबर 1991 को पुलिस उनके घर आई और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। APCLC के वकील और जॉइंट सेक्रेटरी टी. पुरुषोत्तम की 23 नवंबर 2000 को हैदराबाद में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। 18 फरवरी 2001 को इसी तरह से नलगोंडा ज़िला यूनिट के सेक्रेटरी और टीचर मो. आजम अली की हत्या कर दी गई। इन दोनों मामलों में, हमलावर एक ऐसे हथियारबंद गुट से जुड़े थे जिसे पुलिस का परोक्ष समर्थन हासिल था।

हमारे देश के दूसरे अशांत इलाकों में भी नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार विंग के जसवंत सिंह खालरा ने दाह-संस्कार के रिकॉर्ड, जलावन लकड़ी की रसीदों और लावारिस लाशों के रजिस्टर की जांच करके अनुमान लगाया कि सुरक्षा बलों ने 25,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था; इनमें अमृतसर और तरनतारन ज़िलों के 2,000 से ज्यादा के मामले हैं जिनके उन्होंने पूछता सबूत इकट्ठे किये थे। 1995 में पुलिस वालों ने उनका अपहरण किया, उन्हें प्रताड़ित किया और उनकी हत्या कर दी। नागालैंड और मणिपुर में सुरक्षा बलों की ज्यादातियों का दस्तावेज़ीकरण करने वाले वकील जेड.वी. याओपेई की 1996 में दीमापुर में हत्या कर दी गई। 8 मार्च 1996 को जम्मू-कश्मीर के मानवाधिकार वकील जलील अंब्राबी का सेना के जवानों ने अपहरण कर लिया। 27 मार्च को झेलम नदी से उनकी लाश मिली, जिस पर प्रताड़ना के निशान थे। फिर 1996 में, 17 मई को गुवाहाटी में 'बुधवार' (बाद में 'असमिया प्रतिदिन') के संपादक और असम की 'मानव अधिकार संग्राम समिति' के महासचिव पराग दास की हत्या राज्य-समर्थित सशस्त्र समूह ने कर दी।

नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याएं कुछ बिगड़े हुए पुलिस वालों द्वारा की गई हिंसा की अचानक घटनाएं नहीं हैं। ये लोगों के खिलाफ सरकार की एक बड़ी राजनीतिक नीति का हिस्सा हैं। शायद उन्हें याद करने का एकमात्र सार्थक तरीका लोकतांत्रिक अधिकारों के आंदोलन के प्रति खुद को समर्पित करना और इन अधिकारों को लागू करने और उनका विस्तार करने के लिए लोगों के संघर्षों में अपना विश्वास जताना है। यह बैठक भी उन्हें याद करने और सम्मानित करने के लिए है।